

reimbursement of share capital to the Government of Maharashtra to avoid delays in implementation of sugar factories in the cooperative sector?

THE MINISTER OF AGRICULTURE
(SHRI BALRAM JAKHAR) (a) and (b)
Yes, Sir.

(c) During 1990-91 an amount of Rs. 8 crores was provided to NCDC. For the year 1991-92 a provision of Rs. 30.00 crores has been made for providing share capital contribution for Sugar Factories in the cooperative sector. Keeping in view the problems relating to viability and availability of required finances for Cooperative Sugar Factories, Government of Maharashtra was advised by NCDC on 25-2-91 not to go ahead with placing of orders for plant and machinery for 27 new Cooperative Sugar Factories to avoid time and cost over-runs.

Setting up of a Steel Plant in Daitari in Orissa

*293. SHRI PRAVAT KUMAR
SAMANTARAY:

SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Orissa for setting up of a steel plant at Daitari in Orissa in the joint sector; and

(b) if so, by when Government propose to issue license and the reasons, if any, for delay in issuing licence.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) M/s. Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd., a State Government Undertaking of the Government of Orissa, has submitted an application for a Letter of Intent for setting up of a 3 million tonne per annum steel plant at Sukinda Tehsil, District Cuttack, Orissa, in the joint sector.

(b) The proposal was under examination. However, in view of the recent amendments

in the licensing requirements, issue of L.O.I. for industrial licence would not be necessary.

अम्बेडकर आवास योजना के अधीन
प्लेटों का आवंटन

*294. श्री आनन्द प्रकाश गौतम :
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए करीब दो वर्ष पूर्व विशेष रूप से लागू की गई अम्बेडकर आवास योजना के अधीन प्लेटों के आवंटन हेतु कोई ड्रा निकाला गया है; और यदि हां, तो इस योजना के अधीन कितने लोगों को प्लेट आवंटित किये गये हैं; और आवंटितियों का वर्गवार विवरण क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) ऐसा ड्रा कब तक निकाले जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या आवेदनकर्ताओं से कोई अतिरिक्त राशि एकत्रित की गई है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अम्बेडकर आवास योजना में दो ड्रा निकालने का विचार है—पहला, सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए और दूसरा, प्लेटों के आवंटन के लिए। इनमें से अभी तक कोई भी ड्रा नहीं निकाला गया है और प्लेटों का आवंटन नहीं किया गया है। यह मुख्यतः उच्च न्यायालय से स्थगनादेश और आवेदनों पर कार्यवाही में लगे समय की वजह से है।

(ग) सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए

अक्टूबर, 1991 तक एक डा निकाले जाने की संभावना है ।

(घ) योजना के तहत पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त, आवेदनों के विषय में अधिक सुव्यवस्थित कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक आवेदक से कार्रवाई शुल्क के रूप में 200 रुपये की राशि ली गई थी ।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

* 295. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूरा किया गया था और उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नहर से खेतों तक पानी ले जाने के लिये पानी वितरण व्यवस्था अभी पूरी नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था को दो चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो वितरण व्यवस्था की कुल कितनी लम्बाई है; और

(ङ) इस वितरण व्यवस्था के दोनों चरणों को पूरा करने के लिए क्या समय तथा लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात् कुल कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्यावरण शुक्ल) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना का चरण-I जिसमें मुख्य नहर (हरिक बराज से राजस्थान सीमा तक पोषक नहर सहित) तथा वितरण प्रणाली शामिल है, वितरण प्रणाली के कुछ लघु संतुलन कर््यों को छोड़कर, पूरा हो गया है । चरण-II की मुख्य नहर भी अपनी संपूर्ण लम्बाई तक पूरी हो गयी है और वितरण प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है । नीचे दी गई तालिका में वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई, चरण-I और II क्षेत्रों के अन्तर्गत सिंचाई में शामिल किया जाने वाला संभावित कुल क्षेत्र तथा मार्च, 1991 तक उपलब्धता दी गयी है-

मद	यूनिट	कुल मात्रा	मार्च, 1991 तक उपलब्ध
1	2	3	4
चरण-I			
1. पोषक नहर	कि०मी०	204	204 (जून 1984 तक)
2. मुख्य नहर	कि०मी०	189	189 (जून 1975 तक)
3. वितरण प्रणाली	कि०मी०	3125	3103